

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला- बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली
बइजलास श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला-बून्दी

उनवान

1. बजरंगलाल आ0 धूला जाति कुम्हार निवासी नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
-वादी-

बनाम

1. नाथू पिता धूला जाति कुम्हार निवासी नेगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. लादू पिता धूला जाति कुम्हार निवासी नेगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. लाडबाई पुत्रीधूला जाति कुम्हार निवासी नेगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. छोटू पिता धूला जाति कुम्हार निवासी नेगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. प्रेमबाई पत्नी नाथू जाति कुम्हार निवासी नेगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

-प्रतिवादीगण-

दावा तकासमा आराजीयात।

मुकदमा नम्बर :- 30/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री शम्भूदयाल शर्मा मिजानिब मुदई व श्री गोपाल गुप्ता नामा मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम नेगढ पटवार मण्डल नेगढ की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जे काशत में रहेगी :-

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	बजरंगा पुत्र धूला हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा0देह0 खातेदार राहिन बदस्तूर जमाबंदी अनुसार	987 / 1	0.0515
		988 / 1	0.1700
	योग	किता- 2	0.2215
2.	छोटू नाथू लादु पिता धूला, लाड पुत्री धूला हिस्सा 4/9 हि0ब0, प्रेमबाई पत्नी नाथू हिस्सा 5/9 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	987 / 2	0.5879
		988 / 2	0.9981
		994 / 1	0.4073
	योग	किता-3	1.9933
	छोटू नाथू लादु, बजरंगा पिता धूला, लाड पुत्री धूला हिस्सा	988 / 3	0.0136
	2 हि0ब0, प्रेमबाई पत्नी नाथू हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार सा0	994 / 2	0.0136
		994 / 3	0.1052




उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

देह खातेदार राहिन बजरंगा का हिस्सा बदस्तूर जमाबंदी अनुसार	993	0.0486
योग	किता-4	0.1810

नक्शे में वादी के हिस्से में रहने वाली भूमियों को नीले कलर से व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियों को लाल कलर से व शामलाती भूमियों को पीले कलर से प्रस्तावित नक्शों में दर्शाया गया है। तदनुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना-अपना वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Suzoouhos
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2	00	मीजान	0	00

A
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)